न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, सागर संभाग, सागर

R-2061-III/14

१- श्रीमति सहोद्रा पत्नि सुम्मेरा अहिरवार
निवासी ग्राम विकोरा तहसील महराजपुर
जिला छतरपुर (म०प्र०)

२- कालीचरन तनय छुपोला कोरी, निवासी
ग्राम विकोरा तह०महराजपुर जिला छतरपुर (म०प्र०)

-- -- पुनरीक्षण कर्ता ।
आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य -- -- प्रति पुनरीक्षण कर्ता।
अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षण कर्ता, यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक २२५-अ।१९ वर्ष २०११-१२ में पारित आदेश दिनांक १०।४।०१४ से दुखित होकर अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

१- यहकि, तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक १२-अ।१९ (४) वर्ष १९८७-८८ में पारित आदेश दिनांक ०६।०७।१९८८ से शासकीय भूमि खसरा नम्बर १५८१, १५८२, १५८३।२ कुल रकबा २ हेक्टेयर स्थित ग्राम सेवड़ी तहसील राजनगर का पट्टा आवेदक कालीचरन को दिया गया था ।

२- यहकि, आवेदक कालीचरन को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता थी, इस कारण

(घ)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2061-तीन/2014 जिला छतरपुर सहोद्रा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 225-अ/19 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4.1.19	